ग्राम पंचायत झरलोग, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत झरलोग, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्रीमती अंजु ठाकुर	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री नरेश कुमार	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुमना देवी	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत झरलोग, विकास खण्ड भोरंज के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.18
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	28.45
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना	4.11

		स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	3.69
6	9	निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप हानि	0.11
7	11	निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री की मात्रा का अधिक क्रय करके भुगतान करने के फलस्वरूप हानि	0.18

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत झरलोग, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05.09.17 से 14.09.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	09/2014	02/2015
2015-16	09/2015	05/2015
2016-17	09/2016	09/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत झरलोग, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 497(a) दिनांक 14.09.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 272425 (KCCB) दिनांक 20.09.17 के माध्यम से उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत झरलोग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत झरलोग, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	91474	56457	147931	53950	93981
2015-16	93981	62681	156662	101789	54873
2016-17	54873	117892	172765	50911	121854

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत झरलोग, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	948721	2875184	3823905	2723241	1100664
2015-16	1100664	2998738	4099402	2752039	1347363
2016-17	1347363	4461404	5808767	2964163	2844604

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹121854

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2844604

कुल अन्तिम शेष 2966458

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2965716.84

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹741

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -05068	121113.00
GEN-B, KCCB -04756	480066.00
13th & 14th FC, PNB -43297	2185925.84
RAY, KCCB- 27936	594.00
IAY, KCCB -27903	2265.00
Haryali Public Share, KCCB -03245	163377.00
Haryali, KCCB -04938	12376.00
MNREGA, KCCB -05002	0
कुल राशि	**2965716.84**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत झरलोग की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़

वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.18 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि शादी पंजीकरण फीस एवं गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹17575 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें । निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹17575 की वसूली शेष थी ।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	19590	15145	34735	0	34735
2015-16	34735	15145	49880	0	49880
2016-17	49880	16485	66365	49880	16485

जांच में पाया कि पंचायत में गृहकर के रूप में केवल ₹20 प्रति परिवार की वसूली की जा रही है जबकि गृहकर ही पंचायत की आय का एकमात्र स्त्रौत है । अतः नियमानुसार गृहकर में वृद्धि करना सुनिश्चित करें ताकि उसका प्रयोग पंचायत के विकास कार्यों में किया जा सके ।

2. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹1000 की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है । जांच में पाया कि नवम्बर माह में निम्न विवरणानुसार कुल 5 विवाह पंजीकरण हुए थे जिनसे ₹1000 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें । विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	पंजीकरण की दिनांक	पंजीकरण राशि
26	श्री अमित कुमार	07.11.16	200.00
27	श्री सन्नी डोगरा	16.11.16	200.00
28	श्री प्रवीण कुमार	16.11.16	200.00
29	श्री पंकज कुमार	16.11.16	200.00
30	श्री विनय शर्मा	24.11.16	200.00

3. रसीद संख्या 293399 एवं 293400 दिनांक 19.05.15 द्वारा दान के रूप में ₹110 की वसूली की गई थी जबकि रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या-5 में केवल ₹20 जमा करवाये गए थे । अतः अंकेक्षण के दौरान कम जमा राशि ₹90 की वसूली उचित स्त्रौत से करने हेतु कहा गया था, जिसकी अनुपालना में दिनांक 14.09.17 को ₹90 निधि खाता संख्या 20085005068 (KCCB) में जमा कर दी गई थी, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये ।

6 अनुदान ₹28.45 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2844604 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.11 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹410810 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹3.69 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹369490 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

9 **निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप ₹0.11 लाख की हानि :-**

1. जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में निर्माण सामग्री की दरों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 497 दिनांक 13.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 27 दिनांक 19.09.17 द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में दरों का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था लेकिन इसके पश्चात दरों का अनुमोदन प्रस्ताव पारित करके ही किया जा रहा है । अतः भविष्य में भी दरों का अनुमोदन न्यूनतम दरों के आधार पर प्रस्ताव पारित करके ही करना सुनिश्चित करें ।

2. (i) जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 में रेत क्रशर एवं बजरी क्रशर की दर ₹3000 प्रति ट्राली (60 क्यूबिक मीटर) अनुमोदित की गई थी, लेकिन चयनित माहों के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि निम्नलिखित वाउचरों में रेत का क्रय ₹3500 प्रति ट्राली (60 क्यूबिक मीटर) की दरों पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पंचायत को ₹11000 की हानि हुई थी :-

क्र॰सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण एवं भुगतान की गई राशि	अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
	13th FC Cash Book				
1	25 दिनांक 07.02.15	Bill No. - Dated -, M/s Jagdish Chand	3 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3500/- Per trolly = 10500/-	3 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3000/- Per trolly = 9000/-	1500/-
2	28 दिनांक 07.02.15	Bill No. - Dated -, M/s Jagdish Chand	3 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3500/- Per trolly = 10500/-	3 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3000/- Per trolly = 9000/-	1500/-
3	30 दिनांक 07.02.15	Bill No. - Dated -, M/s Prem Chand	2 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3500/- Per trolly = 7000/-	2 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3000/- Per trolly = 6000/-	1000/-
4	38 दिनांक 09.03.15	Bill No. - Dated -, M/s Janak Singh	3 Trolly Sand (Crusher) & 3 Trolly Aggrigate (Crusher) @ ` 3500 /-Per trolly = 21000/-	3 Trolly Sand (Crusher) & 3 Trolly Aggrigate (Crusher) @ ` 3000 /-Per trolly = 18000/-	3000/-
5	40 दिनांक 09.03.15	Bill No. - Dated -, M/s Jagdish	3 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3500/- Per trolly = 10500/-	3 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3000/- Per trolly = 9000/-	1500/-

		Chand			
6	42 दिनांक 23.03.15	Bill No. - Dated -, M/s Jagdish Chand	3 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3500/- Per trolly = 10500/-	3 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3000/- Per trolly = 9000/-	1500/-
7	48 दिनांक 23.03.15	Bill No. - Dated -, M/s Jagdish Chand	2 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3500/- Per trolly = 7000/-	2 Trolly Sand (Crusher) @ ` 3000/- Per trolly = 6000/-	1000/-
	कुल अधिक भुगतान				**11000**

(ii) जांच में पाया कि वर्ष 2016-17 में पत्थर की दर ₹ 22/- प्रति क्यूबिक फीट अनुमोदित की गई थी जबकि वाउचर संख्या 61 दिनांक 03.03.17 (सामान्य रोकड़ वही) की जांच में पाया कि मैसर्ज पुष्पा एंड सन्स से बिल संख्या 33 दिनांक 07.10.16 द्वारा 425 CFT पत्थर का क्रय ₹23/- प्रति CFT की दर किया गया था, अर्थात उक्त क्रय में ₹425/- का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया था ।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 497 दिनांक 13.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 27 दिनांक 19.09.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित भुगतान ₹11425/- की वसूली रसीद संख्या 201745 एवं 201747 दिनांक 14.09.17 द्वारा करके दिनांक 14.09.17 को निधि खाता संख्या 20085005068 (KCCB) में जमा कर दी गई, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी । अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाए एवं चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में अधिक दरों पर क्रय करने के फलस्वरूप पंचायत को हुई हानि की गणना अपने स्तर पर करके उसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

10 क्रय में ₹954 का अनियमित भुगतान :-

वाउचर संख्या 8 दिनांक 22.08.14 (13 वें वित्त आयोग) की जांच में पाया गया कि मैसर्ज प्रेम चन्द एंड कंपनी से बिल संख्या 478 दिनांक 22.08.14 द्वारा खेल सामग्री के क्रय के एवज में ₹58709 का भुगतान किया गया था । जांच में पाया गया कि उक्त बिल में 7 batting leg guard Spartan का क्रय ₹450/- प्रति मात्रा की दर में किया गया था, जिसके लिए ₹3150 + 6.05% VAT देय था, जबकि भुगतान ₹4050 + 6.05% VAT का किया गया था अर्थात उक्त बिल में ₹900 + 6.05% VAT का अधिक भुगतान किया गया था । जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 497 दिनांक 13.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 27 दिनांक 19.09.17 द्वारा

सूचित किया गया कि उक्त अनियमित भुगतान ₹954 की वसूली रसीद संख्या 201746 दिनांक 14.09.17 द्वारा करके दिनांक 14.09.17 को निधि खाता संख्या 20085005068 (KCCB) में जमा कर दी गई, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी ।

11 निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री की मात्रा का अधिक क्रय करके भुगतान करने के फलस्वरूप ₹0.18 लाख की हानि :-

1. **"नि. पक्की सड़क हुकम चन्द के घर से धर्मवीर के घर की ओर" :-** माप पुस्तिका 5122 पृष्ठ 60 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत, बजरी एवं पत्थर की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा
P/L C:C 1:4:8, 7.16 CUM	7.16 X 3.40 = 24 बैग	7.16 X 0.47 = 3.37 CUM	7.16 X 0.89 = 6.37 CUM
P/L C:C 1:3:6, 17.12 CUM	17.12 X 4.40 = 75 बैग	17.12 X 0.47 = 8.04 CUM	17.12 X 0.89 = 15.24 CUM
सामग्री की कुल अपेक्षित खपत	99 बैग	11.41 CUM	21.61 CUM

जांच में पाया गया कि उक्त कार्य में मानकों के अनुसार बजरी की अपेक्षित खपत 21.61 CUM के स्थान पर 27.18 CUM (वही खाता पृष्ठ -101, 16 ट्राली X 60 cft = 960 cft) का प्रयोग किया गया था, जिसका क्रय वाउचर संख्या 38 दिनांक 09.03.15 एवं वाउचर संख्या 13 दिनांक 22.05.15 द्वारा किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में बजरी की अधिक मात्रा का क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 497 दिनांक 13.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 27 दिनांक 19.09.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कार्य में रेत व बजरी की बराबर मात्रा का प्रयोग किया गया था जोकि मानको के अनुसार सही नहीं है । अतः अधिक प्रयोग की गई बजरी की मात्रा 5.57 CUM (27.18-21.61) मात्रा की राशि ₹6550/- (5.57 x 1176) की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

2. **"नि. पक्की सड़क सोसाइटी से लेकर सुभाष चन्द के घर की ओर" :-** माप पुस्तिका 5122 पृष्ठ 80 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया गया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत, बजरी एवं पत्थर की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित	बजरी की अपेक्षित

मात्रा		मात्रा	मात्रा
P/L C:C 1:4:8, 11.14 CUM	11.14 X 3.40 = 38 बैग	11.14 X 0.47 = 5.24 CUM	11.14 X 0.89 = 9.91 CUM
P/L C:C 1:3:6, 19.70 CUM	19.70 X 4.40 = 87 बैग	19.70 X 0.47 = 9.26 CUM	19.70 X 0.89 = 17.53 CUM
सामग्री की अपेक्षित खपत	125 बैग	14.50 CUM	27.44 CUM

जांच में पाया गया कि उक्त कार्य में मानकों के अनुसार बजरी की अपेक्षित खपत 27.44 CUM के स्थान पर 37.38 CUM (वही खाता पृष्ठ-80, 22 ट्राली X 60 cft = 1320 cft) का प्रयोग किया गया था, जिसका क्रय वाउचर संख्या 40 दिनांक 09.03.15 एवं वाउचर संख्या 10 दिनांक 22.05.15 द्वारा किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में बजरी की अधिक मात्रा का क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 497 दिनांक 13.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 27 दिनांक 19.09.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कार्य में रेत व बजरी की बराबर मात्रा का प्रयोग किया गया था जोकि मानको के अनुसार सही नहीं है । अतः अधिक प्रयोग की गई बजरी की मात्रा 9.94 CUM (37 .38-27.44) मात्रा की राशि ₹11689/- (9.94 x 1176) की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्याः- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 36/2017 खण्ड-1-993-996 दिनांक 12.02.2018 शिमला-09

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत झरलोग, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620046